बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–110/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री आशुतोष कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, देव, औरंगाबाद द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–698(15), दिनांक–12.04.2024 एवं पत्रांक–1975(15) दिनांक–02.09.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–02.04.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनका स्पष्टीकरण अस्वीकार पाये जाने की स्थिति में ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–47**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–1740(15) दिनांक–15.09.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार, दिनांक–03.12.2025 से अपना स्ष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर वाद के स्वीकृत्त किए जाने के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन/अनुशंसा को आधार बनाते हुए अपने बचाव में तर्क गढ़ने का प्रयास किया गया है जबकि आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/तथ्यों की छान–बीन एवं जाँच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी, न कि मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर। साथ ही एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था, न कि दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा वर्ष–2023–24 के कतिपय दाखिल–खारिज के मामले को एक बार अस्वीकृति के उपरांत पुनः स्वीकृत किया गया है, जबकि मार्च, 2023 से सॉफ्टवेयर में एक ही खेसरा पर पूर्व में दायर वाद प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए एक बार याचिका की अस्वीकृति के उपरांत पुनः याचिका प्रस्तुत किए जाने पर मामले का संज्ञान में नहीं आने का तर्क बेमानी है। साथ ही यह विचारणीय है कि एक ही मामले में दो डीड कैसे दिया जा सकता है? दाखिल खारिज आवेदन के साथ डीड की प्रति संलग्न की गयी होगी, क्या उससे Crosscheck नहीं किया गया? इस स्तर पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, देव, औरंगाबाद द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई है तथा पूर्वग्रह से

ग्रसित होकर अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह चूक की गई है एवं दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. श्री आशुतोष कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, देव, औरंगाबाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को "'निन्दन" एवं 'संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शस्ति" अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आशुतोष कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, देव, औरंगाबाद सम्प्रति अनुदेशक, राजस्व (सर्वे) एवं प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"** आरोप वर्ष (2022–24) एवं नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का शस्ति"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–110/2023–498(15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 08/04/2026

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, औरंगाबाद/निदेशक, राजस्व (सर्वे) एवं प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद एवं पटना/श्री आशुतोष कुमार, अनुदेशक, राजस्व (सर्वे) एवं प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।